


फर्द अहकाम

दिनांक	फर्द अहकाम
<p>1.7.21</p> <p>मो. प्र. 100/21</p> <p>आ. प्र. 100/21</p> <p>कमपारी</p> <p>व. नं. 11/21</p> <p>Advt.</p>	<p>वादीगण एवं श्री राधारमण शर्मा Adv. ने नया वकालतनामा पेश कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि पक्षकारान में राजीनामा हो चुका है, मुकदमा आगे नाना नहीं चाहते हैं इसलिए आगामी पेशी से पत्रावली कर मुकदमा खारिज कर दिया जावे। इनके कथन तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली तयब की गई। वादीगण एवं उनके वकील ने मुकदमा को Not-Press कर खारिज करने का कथन किया एवं आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये। अतः यह दावा Not-Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल नुमांर होकर नम्बर से कम होकर दारिबल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;">  (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला-करीली </p>